बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

संचिका सं0–10 / वि0यो0–16 / 2008– 89

प्रेषक,

एस0 सिद्धु
प्रधान सचिव, समाज कल्याण।
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पिछड़ावर्ग वित्त एवं विकास निगम,
द्वितीय तल, सोनभवन, पटना।

पटना, दिनांक– 14·01·09

**विषयः–मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋृण योजना से सम्बन्धित संशोधित दिशा निर्देश उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 548 दिनांक 11.12.2008 के प्रसंग में कहना है कि मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋृण योजना से सम्बन्धित संशोधित दिशा निर्देश संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। कृपया इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्रवाई यथा शीध की जाय।

विश्वासभाजन,

(एस0 सिद्धु) 14.1.09
प्रधान सचिव, समाज कल्याण।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

पटना, दिनांक– 14 01 09

ज्ञापांक– 89

प्रतिलिपिः–

सभी जिला पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला समाहरणालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 सिद्धु) 14.1.09
प्रधान सचिव, समाज कल्याण।

E:\Secty Letter secty Ramesh

# बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा इस राज्य के सभी जातियों/वर्गों के विकलांग व्यक्तियों के स्वरोजगार एवं आर्थिक विकास के लिए ऋण योजना का कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

**लक्ष्य एवं उद्देश्य –**

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को राज्य सरकार द्वारा राज्य के निःशक्त जनों को (विकलांग व्यक्तियों को) सम्मानपूर्वक जिन्दगी जीने के लिये एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो ऋण योजना के कार्यान्वयन हेतु चैनेलाईजिंग एजेन्सी बनाया गया है। इस ऋण योजना का कार्यान्वयन/संचालन समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के दिशा–निर्देशन में किया जायेगा।

## मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना –

**परिचय :–** राज्य के निःशक्तजनों के कल्याण के लिए एक अति महत्वाकांक्षी स्वरोजगार ऋण योजना शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत निम्नांकित उद्यम/रोजगार हेतु ऋण लिया जा सकता है। (क) लघु उद्यम/लघु व्यवसाय में स्व–नियोजन (ख) विकलांग उद्यमियों को उत्पादन एवं उत्पाद क्षेत्र में सहायता (ग) कृषि कार्य के क्षेत्र में (घ) विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक साधन के निर्माण के लिए (ङ) कारीगरी एवं उद्यमी विकास कार्य के लिए। इस ऋण के वितरण में तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त निःशक्त जनों को प्राथमिकता दिया जायेगा, ताकि वे सफलता पूर्वक अपने व्यवसाय का संचालन कर सकें।

**देय राशि –**

इस ऋण योजना के तहत प्रति लाभार्थी का अधिकतम ऋण सीमा 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रुपये तक होगी। इस ऋण की वापसी लाभार्थी को 5 वर्ष में 20 त्रैमासिक किश्तों में सूद सहित करनी होगी। इसका वार्षिक सूद दर 5 प्रतिशत होगी। लाभार्थी यदि चाहे तो निर्धारित अवधि के पूर्व भी ऋण की वापसी कर सकते है।

पात्रता–

1) बिहार के निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)

2) वैसे विकलांग व्यक्ति जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से ग्रसित हो (सिविल सर्जन द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर)।

3) आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

4) वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 2,00,000/– लाख रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,60,000/– रुपये से अधिक न हो। (सक्षम पदाधिकारी यथा अंचल पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर)

5) लाभार्थी सामान्यतः उसी जिले का निवासी हो, जहाँ से ऋण लिया जाना है।

6) लाभार्थी को उस योजना विशेष के कार्यान्वयन के लिए ज्ञान हो जिसके लिए वह ऋण लेना चाहते हैं।

7) लाभार्थी के पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण का प्रमाण प[त्र] होने पर ऋण पाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

## लाभार्थियों का प्रशिक्षण –

योजनाओं के सफल संचालन हेतु चयनित लाभार्थियों को निगम की ओर से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

लाभार्थियों को योजनाओं के चयन, योजनाओं के तैयार करने में भी निगम मुख्यालय सहायता कर सकता है।

## लाभार्थियों का चयन –

★ मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना हेतु लाभार्थियों का चयन, योजना के कार्यान्वयन, ऋण वसूली, अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:–

1. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को कोषांग :– अध्यक्ष
2. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (प्रतिनिधि) :– सदस्य
3. जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र का नोडल पदाधिकारी :– सदस्य सचि[व]
4. भारतीय रेड कॉस सोसाइटी, जिला शाखा के नोडल पदाधिकारी :– सदस्य
5. ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संस्था के संचालक (एक) :– सदस्य
6. राष्ट्रीयकृत बैंक के एक प्रतिनिधि :– सदस्य
7. अनुसूचित जाति के एक प्रतिनिधि (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत) :– सदस्य
8. बिहार राज्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के प्रतिनिधि :– सदस्य

★ इस ऋण योजनान्तर्गत अभिलेख संधारण की कार्रवाई पूरी करने की जवाबदेही सम्बन्धित सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा की होगी।

★ सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा चयन की प्रकिया पूरी करने के पश्चात आवे[दन] निगम मुख्यालय को भेज देंगे।

★ यथासंभव लाभार्थियों के चयन में 15 प्रतिशत महिलाओं, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक, [...] अनुसूचित जाति, 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 7 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग (अन्य) तथा [...] सामान्य विकलांग व्यक्तियों को लाभ देय होगा। रैड क्रॉस निःशक्त व्यक्तियों जो सरकार द्वारा संचालित [...] हो तो उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

★ लाभार्थियों के चयन में बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

## ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया –

★ जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृति के बाद स्वीकृति पत्र (विहित प्रपत्र में) तीन प्रतियों में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा निर्गत किया जायेगा।

★तीनों स्वीकृति पत्र पर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर एवं सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा, जिसकी एक प्रति लाभार्थी, दूसरी प्रति सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं तीसरी प्रति बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को भेजा जायेगा।

★ऋण सम्बन्धी एकरारनामा के समय लाभार्थी को किसी गारन्टर (सरकारी या अर्द्ध सरकारी सेवा) से हस्ताक्षरित गारन्टी पत्र समर्पित करना होगा। अगर लाभार्थी द्वारा कोई गारन्टर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो लाभार्थी को अपना सम्पति बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के पक्ष में बंधक रखना होगा। ऐसी सम्पति सभी प्रकार ऋण भार से मुक्त होना चाहिए एवं प्राप्त ऋण की राशि से उस सम्पति का मूल्य कम नहीं होना चाहिए। अथवा,

★ गारन्टी के रूप में कोलैटरल (Co-lateral) सिक्यूरिटी यथा एन0एस0सी0/पिक्स्ड डिपोजिट/बीमा पॉलिसी इत्यादि को निगम के नाम बंधेज करना होगा।

★ स्वीकृत ऋण का भुगतान रेखांकित चेक (Account Payee)/डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा लाभार्थी को किया जायेगा। लाभार्थी को किसी राष्ट्रीय बैंक में बचत खाता खोलना होगा।

★ लाभार्थी को स्वीकृत ऋण योजना का बीमा निगम के दिशा–निर्देश के अनुरूप कराना होगा।

★ लाभार्थी को उस समय तक संचालित योजना एवं उसके चल एवं अचल सम्पत्ति बेचने या उपहार में देने की छूट नहीं होगा जबतक कि सूद सहित ऋण की पूरी राशि नहीं लौटा दी गयी हो।

## ऋण अदायगी की प्रक्रिया –

★ लाभार्थियों से ऋण राशि की वापसी हेतु 20 पोस्ट डेटेट चेक (त्रैमासिक किश्त के रूप में) जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी हो, जहाँ उनका एकाउन्ट हो, देना अनिवार्य होगा।

★ समय पर किस्त की राशि की वसूली नहीं होने अथवा ऋणी द्वारा ऋण लेने के क्रम में दिये गये चेक का भुगतान बैंक से नहीं होने (चेक बाउन्स हो जाने पर) पर प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

★ विवाद का निस्तारण : प्रमादी (डिफॉल्टर) ऋणियों के विरूद्ध एन.आई.एक्ट की धारा 138 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में मामला दायर किया जायेगा।

★ इसके अतिरिक्त ऋण योजना से सम्बन्धित बंधक किये जाने वाले चल/अचल सम्पत्ति को निगम कार्यालय से प्राप्त विहित प्रपत्र में लाभार्थी को बंधक (hypothecate) रखना पड़ेगा।

★ निगम की ओर से निगम के प्रबंध निदेशक ऋण स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लाभार्थियो को एक मुश्त चेक बैंक ड्राफ्ट द्वारा जिला सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के नाम से विमुक्त कर देंगे।

★ संबंधित जिला सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निगम के नाम से जिला स्तर पर एक खाता खोलेंगे। तदोपरान्त स्वीकृत सूची के अनुसार लाभार्थीवार अलग–अलग रेखांकित चेक द्वारा ऋण राशि का भुगतान लाभार्थी के खाता के द्वारा किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना खाता खोले किसी भी लाभार्थी को भुगतान नहीं किया जायेगा।

**आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का होना आवश्यक है।**

★ असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा अभिप्रमाणित फोटो सहित विकलांगता प्रमाण–पत्र।

★ उम्र प्रमाण–पत्र।

★ अंचलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी द्वारा निर्गत वार्षिक आय प्रमाण–पत्र।

★ लाभार्थियों को निश्चित रूप से आवेदन–पत्र के साथ आवास से सम्बन्धित कोई प्रमाण पत्र यथा पासपोर्ट, भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज या अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण–पत्र या बी०पी०एल० सूची (यथेष्ट प्रति) प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

★ कोलैटरल (Co-lateral) गारंटी के रूप में यथा एन.एस.सी. / फिक्स्ड डिपोजिट / बीमा पॉलिसी इत्यादि का छायाप्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

**लाभार्थी के लिए सामान्य अनुदेश –**

★ अधूरे या अपूर्ण आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

★ लाभार्थी के चयन में पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

★ मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना हेतु आवेदन पत्र 10/– रूपये का शुल्क भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा।

★ लाभार्थी को किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्था या लाभपूर्ण रूप से नियोजित नहीं होना चाहिए।

★ लाभार्थी किसी बैंक या सरकारी खजाने का बकायेदार नहीं हो।

***आवेदक को स्वरोजगार ऋण योजना के लाभ हेतु आवेदन–पत्र निगम के विहित प्रपत्र में सीधे सम्बन्धित जिला के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाहरणालय के कार्यालय में देना होगा।***

(एस० सिद्धू) 14.1.09
*प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग।*

# मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार ऋण आवेदन–पत्र

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

चौथी मंजिल, सोन भवन, बी.सी.पी. मार्ग

पटना–800 001

विषय :– मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना हेतु के तहत कुल ..... राशि का ऋण लेने के संबंध में।

महाशय,

मैं इस निगम से मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना हेतु के तहत कुल ..... राशि का ऋण लेना चाहता / चाहती हूँ। मेरा तथा मेरे द्वारा प्रस्तावित योजना का विवरण निम्नवत है:–

1. नाम – .....
2. उम्र : (प्रमाण–पत्र के साथ).....
3. पिता / पति का नाम : .....
4. वर्तमान पता (दूरभाष सहित)–
5. स्थाथी पता –

(अंचलाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत अधिवासी प्रमाण–पत्र संख्या..... दिनांक.....)

6. जाति / उपजाति –
7. विकलांगता प्रमाण–पत्र– (असैनिक शल्य चिकित्सक के अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा अभिप्रमाणित विकलांगता प्रमाण–पत्र)
8. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय .....

(अंचल पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र, संख्या–..... दिनांक–.....)

9. शैक्षणिक योग्यता –

(क) अन्य प्रासंगिक योग्यता यदि कोई हो (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) –

(ख) विशेष प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र या प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो संलग्न करें)

10. विवाहित / अविवाहित / तलाकशुदा –

(क) परिवार के सदस्यों संख्या –

(ख) बालिग सदस्य – (ग) नाबालिग सदस्य –

11. प्रस्तावित योजना का कुल खर्च:

(क) आवश्यक आवर्ती खर्च (विस्तृत विवरण दें) –

(ख) आवश्यक अनावर्ती खर्च (विस्तृत विवरण दें) –

(ग) परियोजना रिपोर्ट संलग्न करें –

12. क्या किसी सरकारी कर्मचारी की जमानत पर ऋण लेना है? यदि हाँ तो, सरकारी कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, सेवा नियुक्ति/सेवा निवृत्ति की तिथि तथा वेतनमान का विवरणी :–

14. यदि निजी जमीन पर ऋण लेना है तो जमीन का ब्योरा : (कागजात संलग्न करें) –

खाता सं०–..... खेसरा ..... लोकेशन .....

15. सरकारी गारंटर/जमीन नहीं रहने के स्थिति में कोलैटरल (Co-lateral) सिक्यूरिटी यथा एन.एस.सी. / फिक्स्ड डिपोजिट / बीमा पॉलिसी इत्यादि का ब्यौरा संलग्न करें।

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री / पत्नी .....

ग्राम/मो०–.....डाकघर ..... प्रखंड .....थाना .....

..... जिला ..... का हूँ । मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त आवेदन के क्रमांक–1 से 15 में दी गई सभी सूचनायें में मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार बिल्कुल सही है तथा इनमें मैंने किसी तथ्य को नहीं छुपाया है।

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

---

(कार्यालय उपयोग के लिए)

आवेदन प्राप्ति की संख्या– तिथि–

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर।

## (गारन्टर का सहमति पत्र)

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम,
चौथी मंजिल, सोन भवन,
पटना– 800 001

विषयः– ऋण आवेदक श्री ..... के गारंटर बनने के संबंध में।

महाशय,

निवेदनपूर्वक सूचित करना है कि मैं ..... पिता ..... स्थायी पताः– ग्राम/मो0–..... पो0–..... थाना– ..... प्रखंड–..... जिला–..... का निवासी हूँ। मैं वर्तमान समय (विभाग/कार्यालय का पूरा पता) ..... वेतनमान पर ..... के अधीन ..... पद पर ..... (तिथि) से कार्यरत हूँ। मैं स्वेच्छा से श्री ..... जो आपके निगम से ..... योजना में ऋण लेना चाहता/चाहती है का गारंटर बनने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं अपने विभाग/कार्यालय की ओर से जारी वेतन प्रमाण–पत्र या इससे संबंधित अन्य कागजात इस आवेदन–पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। मेरा वास्तविक जन्म तिथि ..... है तथा कार्यालय/विभाग में योगदान तिथि ..... है।

मेरे द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि जब श्री ..... का ऋण राशि स्वीकृति हेतु ऋण एकरारनामा व गारंटी आदि बना ली जायेगी तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वयं आपके कार्यालय में उपस्थित रहूँगा।

विश्वासभाजन,

(गारन्टर बनने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर)

अनुलग्नकः–
स्थान व तारीखः–